

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या: अपील/डिक्री/टी.ए./8743/2008/बीकानेर

- 1- बालूराम पुत्र केसराराम (मृतक)
 1/1 पुराराम पुत्र बालूराम
 1/2 सन्तलाल पुत्र बालूराम (मृतक)
 1/2/1 कलावती पत्नी सन्तलाल
 1/2/2 मेघाराम पुत्र स्व. सन्तलाल
 1/2/3 राकेश पुत्र स्व. सन्तलाल
 1/2/4 विद्या पुत्री स्व. सन्तलाल
 1/2/5 तारा पुत्री स्व. सन्तलाल
 1/2/6 निर्मला पुत्री स्व. सन्तलाल
 1/2/7 ईमरती पुत्री स्व. सन्तलाल
 जाति कुम्हार निवासी ग्राम कपूरीलाल तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
 1/3 मु. माना पुत्री स्व. बालूराम
 1/4 मु. चूना पुत्री स्व. बालूराम
 1/5 मु. राधा पुत्री स्व. बालूराम
 1/6 मु. पाना पुत्री स्व. बालूराम
 1/7 मु. उमा पुत्री स्व. बालूराम (मृतक)
 1/7/1 रामकुमार पुत्र भादरराम
 1/7/2 नोरंगराम पुत्र भादरराम
 1/7/3 दौलतराम पुत्र भादरराम
 1/7/4 जगदीश पुत्र भादरराम
 1/7/5 लिछमा देवी पुत्री भादरराम
 1/8 मु. कमला पुत्री स्व. बालूराम
 सभी जाति कुम्हार निवासी ग्राम कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
- 2- गोधूराम पुत्र शेराराम वल्द केसरराम
- 3- ईशरराम पुत्र शेराराम वल्द केसरराम (मृतक)
 3/1 भंवरलाल पुत्र स्व. ईशरराम
 3/2 शंकरलाल पुत्र स्व. ईशरराम
 3/3 भगवानाराम पुत्र स्व. ईशरराम
 3/4 मदनलाल पुत्र स्व. ईशरराम
 3/5 श्योपतराम पुत्र स्व. ईशरराम
 3/6 तारावती पुत्री स्व. ईशरराम
 3/7 सजनादेवी पुत्री स्व. ईशरराम
 3/8 हीरादेवी पुत्री स्व. ईशरराम
 3/9 बेबीदेवी पुत्री स्व. ईशरराम
 सभी निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

[Signature]
 02/11/26

-अपीलार्थीगण
[Signature]
 02/11/2026

-बनाम-

- 1- बद्रीराम पुत्र कुम्भाराम
- 2- मूलाराम पुत्र कुम्भाराम
जाति कुम्हार निवासी शेखसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
- 3- सोहनलाल पुत्र कुम्भाराम (मृतक)
3/1 रामकुंवर पुत्र स्व. सोहनलाल
3/2 लालचन्द पुत्र स्व. सोहनलाल
3/3 लिछमादेवी पुत्री स्व. सोहनलाल
3/4 विमलादेवी पुत्री स्व. सोहनलाल
3/5 पुष्पादेवी पुत्री स्व. सोहनलाल
3/6 माया देवी पुत्री स्व. सोहनलाल
समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
- 4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

-प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ

श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित:

श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री समीर अहमद, अधिवाक्ता प्रत्यर्थीगण

-निर्णय-

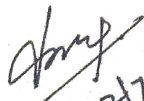
दिनांक:- 02 जुलाई, 2026

(I) अपील का आधार :-

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या- 24/2005 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-03-2005 के विरुद्ध पेश की गई है।

(II) अपील के तथ्य :-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम शेखसर के खसरा नम्बर 403/15 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 620/41 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 136 बीघा भूमि वादीगण/प्रत्यर्थीगण के पिता को संवत् 2017 के पूर्व से आवंटित


02/7/26


02/7/2026

होकर गैर खातेदारी की भूमि रही है, जोकि विरासतन वादीगण/प्रत्यर्थीगण को प्राप्त हुई है। दौराने सेटलमेंट आराजी जैर के नवीन पुख्ता खसरा नम्बर 243, 292, 296, 286, 322, 44, 569 मिन, 675 मिन, 719, 569 कुल रकबा 72 बीघा 10 बिस्वा भूमि गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई। जिसके विरुद्ध उजरदारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा के नाम 1/3 हिस्से का अंकन कर दिया गया। उक्त इन्द्राज को विलोपित करने एवं आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित करने की इस्तदुआ वादपत्र के माध्यम से किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रत्यर्थीगण के वादपत्र को निर्णय व डिक्री दिनांक 15-03-2005 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रथम अपील को स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

(III) पक्षकारों की बहस व तर्क :-

1- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील-मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम शेखसर के खसरा नम्बर 403/15 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 620/41 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 136 बीघा भूमि वादीगण के पिता कुम्भाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 बालूराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता शेराराम की गैरखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर की पत्रावली संख्या 2899/72 में पारित आदेश दिनांक 23-11-1972 के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है तथा उक्त इन्द्राजात् को वादीगण के पिता कुम्भाराम द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पृथक से चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रागन्याय के सिद्धान्त से भी बाधित रहा है।

2- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपनी बहस में आगे कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर नियमानुसार अनुतोष सहित कुल सात तनकीयात् कायम की गई। जिसमें तनकी संख्या 1 व 2 कमशः खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा एवं स्थाई व्यादेश से संबंधित है, को साबित करने का भार वादीगण/प्रत्यर्थीगण पर रहा है। उपरोक्त तनकी के समर्थन में वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा गिरदावरी संवत् 2017-2024 पेश की गई, जिसमें वादीगण के पिता का नाम दर्ज था, तथा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में

अधीन
02/11/2026

अधीन
02/11/2026

वादीगण के पिता नाम विलोपित करते हुए आराजीराज दर्ज करने का कथन किया गया। जबकि प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश की पालना में वादीगण के पिता कुम्भाराम, बालूराम एवं शेराराम के नाम दर्ज की गई है, उक्त तथ्य के आधार पर ही विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 विरुद्ध वादीगण निर्धारित की गई है। उपरोक्त विधिक स्थिति के आधार पर ही विचारण न्यायालय द्वारा स्थाई व्यादेश के संबंध में कायम तनकी संख्या 2 भी विरुद्ध वादीगण निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अन्य कायम की गई तनकीयात् का भी विधि के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रत्यर्थीगण के वादपत्र को विधिनुरूप स्वारिज किया गया था।

3- उन्होंने आगे कथन किया कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के जारी सम्मन/नोटिस जरिये चस्पांदगी तामील मानते हुए एकतरफा कार्यवाही करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। इसी प्रकार अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध मत व्यक्त करते हुए वादीगण/प्रत्यर्थीगण की अपील को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि उनके द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 की पालना सुनिश्चित करते हुए अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं शहादत का तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया जाता, परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं पूर्ववर्ती रिकार्ड के विपरीत जाकर एवं विधिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। लिहाजा अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

4- विद्वान अधिवक्ता वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता कुम्भाराम को आवंटित होकर गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। जोकि सवन्त 2017 से पूर्व तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही तथा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा भी वादीगण के पिता एवं कालान्तर में वादीगण का रहा है। दौराने सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि के साबिका खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर पैमूद होने पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड कर दी गई तथा कालान्तर में उक्त भूमि वादीगण के पिता कुम्भाराम, बालूराम एवं शेराराम के नाम दर्ज की गई है। उक्त इन्द्राजात प्रारम्भ से ही एब-इनिशियों-वॉयड होने के आधार पर विचारण


02/11/21


02/11/2026

न्यायालय के समक्ष आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ-साथ प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करने की मांग की गई। उक्त वादपत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया। जबकि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत् 2017-2028 व जमाबन्दी संवत् 2019 व नामान्तरणकरण संख्या 340 व 1066 भी पेश करते हुए कथन किया गया था कि नामान्तरणकरण संख्या 1066 दिनांक 30-05-1977 को ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें तहसीलदार, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 09-12-1976 का हवाला दिया गया है। जबकि इंतकाल संख्या 340 दिनांक 24-02-1975 खारिज किया जा चुका है। जिसको सक्षम स्तर पर कोई चुनौती नहीं दी गई है। उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 23-11-1972 को आधार बनाते हुए एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत नहीं मानते हुए वादपत्र को खारिज किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी जैर पर कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये गये थे। प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि भू-प्रबन्ध से पूर्व वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता अकेले के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे दौराने भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तित किया गया है। इस संबंध में विधिक स्थिति स्पष्ट है कि भू-प्रबन्ध विभाग पूर्व के इन्द्राजात को ही दोहरा सकता है, पुराने इन्द्राजात को परिवर्तित करने की शक्तियाँ भू-प्रबन्ध विभाग में निहित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तमाम विधिक स्थिति के बावजूद भी वादीगण/प्रत्यर्थीगण के वादपत्र को खारिज किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलार्थीगण को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु नोटिस जारी किये गये, जोकि बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को उक्त बिन्दु पर किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

5- प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2017-2027 का इन्द्राज अकेले कुम्भा वल्द केशा के नाम कॉलम संख्या 6 में अंकित होना एवं काशत दर्ज होने व जमाबन्दी संवत् 2019 के कॉलम संख्या 5 में कृषक का नाम कुम्भा वल्द केशू दर्ज होने एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-11-1972 उजरदारी सेटलमेंट दर्ज किये जाने व उक्त इन्द्राज ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किये जाने के आधार पर एवं उक्त खारिजी आदेश की अपील/रिव्यू नहीं किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अपील को विधि सम्मत तरीके से स्वीकार किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत द्वितीय अपील खारिज

 02/11/20

 02/11/2026

फरमाई जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत बहाल रखा जावे।

(iv) अवर्धाय प्रश्न:-

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करने पर न्यायालय के समक्ष निम्न अवर्धाय बिन्दु प्रकट होता है:-

“आया योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर द्वारा वादपत्र को विधिनुरूप खारिज किया गया है अथवा नहीं? एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21-04-2008 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15-03-2005 को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थीगण की अपील को स्वीकार करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है अथवा नहीं?

(v) न्यायालय का विश्लेषण एवं निष्कर्षण:-

1- प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम शेखसर के खसरा नम्बर 403/15 रकबा 104 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 620/41 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 136 बीघा भूमि के बाबत् वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि आराजी जैर वादीगण के पिता कुम्भाराम को आवंटित/गैर खातेदारी भूमि दर्ज थी तथा मौके पर भौतिक कब्जे के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इसी अनुरूप मद संख्या 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू-प्रबन्ध वादग्रस्त भूमि का सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। जिसके आधार पर आराजी जैर वादीगण अकेले के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व 2 व 3 के दादा के नाम दर्ज कर दी गई है। इस प्रकार वादीगण का वादग्रस्त भूमि के बाबत् मूल रूप से यह कथन रहा है कि उक्त भूमि वादीगण के पिता को आवंटित/गैर खातेदारी की भूमि रही है। जिनके वे विरासतन खातेदारी घोषणा के अधिकारी है।

2- इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा वादपत्र में अभिलिखित अपने कथन के समर्थन में खसरा गिरदावरी संवत् 2017-2018, जमाबन्दी संवत् 2019 पेश की गई है। इसके अतिरिक्त नामान्तरणकरण संख्या 340, 1066 व उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 23-11-1972 की छाया प्रतियाँ पेश की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादीगण एवं राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत

 02/11/2026

 02/11/2026

जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित कुल सात तनकीयात् कायम करते हुए वादपत्र को इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादीगण वादपत्र में अंकित कथन यथा 'कि वादगत् भूमि वादीगण के पिता अकेले के नाम दर्ज रही है, व भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवाय चक दर्ज करने के पश्चात् वादीगण अकेले के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व 2 व 3 के दादा के नाम दर्ज कर दी गई है' साबित करने में असफल रहे हैं। इसी अनुरूप यह भी अभिलिखित किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-11-1972 में प्रतिवादीगण के पिता व दादा के नाम 2/3 हिस्सा दर्ज किया गया है। जिसे वादीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या -4 राज्य पक्ष द्वारा अपने जवाबदावे में आराजी जैर पर वादीगण का कब्जा काशत नहीं माने जाने के आधार पर प्रत्यर्थागण/वादीगण के वादपत्र को खारिज योग्य माना है।

3- विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादीगण/प्रत्यर्थागण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रत्यर्थागण की अपील को इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि खसरा गिरदावरी संवत् 2017 से 2027 तक वादग्रस्त भूमि कुम्भा वल्द केशा के नाम अकेले दर्ज रही है तथा जमाबन्दी संवत् 2019 में कॉलम संख्या 5 में कृषक का नाम कुम्भा वल्द केशू दर्ज रही है। इसी अनुरूप अपील को स्वीकार करने का अन्य आधार यह लिया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तरणकरण को ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किया गया है। जिसकी कोई अपील, रिव्यू व रिवीजन संबंधी कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

4- इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व पूर्ववर्ती रूप से पारित न्यायालय आदेश की भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में मण्डल स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की वैधानिकता का परीक्षण विधि के परिप्रेक्ष्य में किया जाना अपरिहार्य हो जाता है।

(a) विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-03-2005 के संदर्भ में:-

(i) प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 15-03-2005 के संबंध में उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता श्री दौलत सिंह तंवर उपस्थित आये व जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए विवादित भूमि वादीगण के पिता कुम्भा अकेले के नाम दर्ज होने के तथ्य को नकारते हुए विवादित भूमि के


04/7/20


02/7/2026

संबंध में उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23-11-1972 के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पिता कुम्भा, प्रतिवादी संख्या 1 बालूराम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता स्व. शेरा की गैरखातेदारी भूमि होना अभिलिखित किया गया है। इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 4 राज्य पक्ष द्वारा भी जवाबदावा पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जे काशत नहीं होना अभिलिखित किया गया है। प्रकियात्मक शुचिता को देखा जाये तो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के उपस्थित आने व जवाबदावा पेश किये जाने के उपरान्त दिनांक 07-06-2004 को तनकीयात् कायम की गई व दिनांक 03-09-2004 को साक्ष्य वादी के बाद सीधे बहस हेतु निर्धारित कर दी गई। उक्त कार्यवाही के दरमियान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की उपस्थिति का या अनुपस्थिति का समुचित विधिक आधार प्रकट नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत रणजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड (2024 INSC 724) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:- Held that even when the defendant has not filed the Written Statement, his right to cross examine the plaintiff witness is no foreclosed. अर्थात् जहाँ प्रतिपक्षी द्वारा जवाब दावा भी पेश नहीं किया हो वहाँ भी प्रतिपरिक्षण का अधिकार समाप्त नहीं माना जा सकता। जबकि इस प्रकरण में जवाबदावा भी प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में बिना प्रतिपरिक्षण के साक्ष्य पर विचार करने एवं तत्पश्चात् प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही पत्रावली को बहस हेतु नियत करना प्रकियात्मक निष्फलता का परिचायक है। ऐसी प्रकियात्मक निष्फलता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न शब्दों में निष्पक्ष विचारण का विपरितार्थक मानते हुए उचित नहीं माना है:- (2025 INSC 1702) M/s Anvita Autotech V/s M/s Aroush Motors "Procedural failure cannot result in deniaial of substantial Fight of Defence."

अतः स्पष्ट रूप से विचारण न्यायालय का निर्णय विधिक प्रकिया की गंभीर अपालना एवं निष्पक्ष विचारण/सुनवाई व विहित प्रकिया के विरुद्ध प्रतीत होता है। हालांकि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के वादपत्र को खारिज किया गया है, परन्तु विधिक दृष्टिकोण से वादग्रस्त भूमि के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए एवं वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में आराजी जैर पर पक्षकारों के अधिकारों के निर्धारण से पूर्व विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर प्रतिवादीगण एवं राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे पर साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने एवं विपक्षी को जिरह हेतु अवसर दिये जाने के उपरांत ही प्रकरण का विधिनुकूल निस्तारण किया जाता। जिसका अभाव विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में पाया जाता है।

[Signature] 02/11/2026

[Signature] 02/11/2026

(b)अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 21-04-2008 के संदर्भ में:-

(i) प्रकरण में जहाँ तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री की वैधानिकता का प्रश्न है, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से भिन्न मत व्यक्त करते हुए वादीगण की अपील को स्वीकार करते हुए वादपत्र को डिक्री किया गया है। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स को वादपत्र एवं अपील में अंकित पते पर अर्थात् साकिन शेखसर तहसील लूणकरनसर जरिये नोटिस तलब किये जाने पर उक्त नोटिस इस आशय के साथ अदम तामील प्राप्त हुए कि 'सायल इस नाम का व्यक्ति नहीं रहता है।' तदुपरान्त अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स को पुनः नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस साकिन कपूरीसर तहसील लूणकरनसर के पते पर जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट बालूराम के नोटिस आबाद मकान पर चस्पांदगी प्राप्त हुए, जबकि न्यायालय स्तर से चस्पांदगी के कोई आदेश पृथक से जारी नहीं किये गये थे। इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Ramkishan V/s Ram Dai (2025 livelaw(Raj.) 259) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 5 नियम 17 सीपीसी की पालना के बिना और उसमें अपनाई गई प्रक्रिया को सुनिश्चित किये बिना चस्पांदगी से तामील विधि सम्मत नहीं कही जा सकती। इसी क्रम में रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी ईशरराम के नोटिस जरिये भाई तामील प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व पक्षकारों की तलबी की सुनिश्चितता नहीं किया जाना प्रकट है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपील को स्वीकार करने का आधार - 'खसरा गिरदावरी संवत् 2017 से 2027 तक वादग्रस्त भूमि कुम्भा वल्द केशा के नाम अकेले दर्ज होना तथा जमाबन्दी संवत् 2019 में कॉलम संख्या 5 में कृषक का नाम कुम्भा वल्द केशू दर्ज रहने का लिया जाकर आराजी जैर का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया गया है।' इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णयन जगदीश प्रसाद पटेल बनाम शिवनाथ {(2019) 6 SCC 82} में यह अभिनिर्धारित किया है कि:- "In the suit for declaration for title and possession, the Plaintiffs-Respondents could succeed only on the strength of their own title and not on the weakness of the case of the Defendants-Appellants. The burden is on the Plaintiff-Respondents to establish their title to the suit properties to show that they are entitled for a decree for declaration. The Plaintiff-Respondents have neither produced the title document i.e. pattalease which the Plaintiff-Respondents are relying upon nor proved their right any adducing any other evidence. As noted above, the revenue entries relied on by them are also held to be not genuine. In any event, revenue entries for few Khataunis are not proof of title, but are mere statements for revenue purpose. They cannot any right or title on the party on them for proving their title."

10/4/20

02/04/2026

जबकि वादग्रस्त भूमि व प्रकरण की प्रकृति एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-41 नियम-28 के तहत मूल वाद को पुनः साक्ष्य लेने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते, किन्तु ऐसा न करते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विधिक त्रुटि कारित की है।

(ii) प्रकरण में जहाँ तक अपीलार्थीगण की उक्त आपत्ति की प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 की अनुपालना किये बगैर निर्णय पारित किया जाना एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है। आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम न्यायनिर्णयन Civil Appeal No. 3680 of 2022 (Arising Out of SLP (Civil) No. 20375 of 2021 Sathyanath & Anr. – Appellants Versus Sarojamani –Respondent में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

32. The objective of the provisions of Order XLI Rules 24 and 25 is that if evidence is recorded by the learned Trial Court on all the issues, it would facilitate the first Appellate Court to decide the questions of fact even by reformulating the issues. It is only when the first Appellate Court finds that there is no evidence led by the parties; the first Appellate Court can call upon the parties to lead evidence on such additional issues, either before the Appellate Court or before the Trial Court. All such provisions of law and the amendments are to ensure one objective i.e., early finality to the Us between the parties.

33. Keeping in view the object of substitution of sub-Rule (2) to avoid the possibility of remanding back the matter after the decision on the preliminary issues, it is mandated for the trial court under Order XIV Rule 2 and Order XX Rule 5, and for the first appellate court in terms of Order XLI Rules 24 and 25 to record findings on all the issues.

34. Therefore, the order of the High Court remanding the matter to the learned trial court to frame preliminary issues runs counter to the mandate of Order XIV Rule 2 of the Code and thus, not sustainable in law. The learned trial court shall record findings on all the issues so that the first appellate court has the advantage of the findings so recorded and to obliterate the possibility of remand if the suit is decided only on the preliminary issue. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया की अपालना निर्णय की जड़ तक जाती है और इस आधार मात्र पर ही आदेश 41 नियम 31 की अपालना के परिणामस्वरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता।

[Signature]
24/7/20

[Signature]
02/11/2026

(c) प्रकरण की प्रकृति एवं वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के अधिकारों के निर्धारण हेतु इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार निम्न बिन्दु न्यायहित में गुणावगुण पर विश्लेषित किये जाने योग्य पाये जाते हैं:-

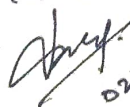
(i) यह कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वादपत्र में अभिलिखित अभिवचनों के समर्थन में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत की गई अथवा नहीं? वादग्रस्त भूमि की प्रकृति वादी के पिता की स्वअर्जित है अथवा नहीं? यदि विवादित भूमि स्वअर्जित है, तो क्या कारण एवं विधिक आधार रहा जिनके चलते वादी के पिता ने उक्त भूमि केवल वादी को दी।

(ii) वादग्रस्त भूमि पिता की खातेदारी भूमि थी, इस संबंध में क्या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, केवल खसरा गिरदावरी के आधार पर अनन्य कब्जा माना जा सकता है अथवा नहीं? चूंकि विवादित भूमि पिता के मारफत आ रही है। इस संबंध में जब तक प्रतिकूल साक्ष्य नहीं हों तब तक यह स्वतः माना जायेगा कि सम्पत्ति सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में बराबर बांटी गई है। यथा वादी अपना अनन्य घोषणार्थ अधिकार किस आधार पर प्रकट करते हैं।

(iii) वादी द्वारा अपनी अपील में और वादपत्र में नामान्तरणकरण संख्या 340 को ग्राम पंचायत के आदेश के द्वारा खारिज करने का कथित तौर पर कथन किया गया है। जबकि दस्तावेज के अवलोकन से यह प्राथमिक तौर पर प्रकट होता है कि उक्त नामान्तरणकरण उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 23-11-1972 के क्रम में खोला गया था। अतः क्या ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तरणकरण (जोकि उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश की अनुपालना में खोला गया था) को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है।

(iv) विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय का आधार उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 23-11-1972 का लिया गया है। उक्त आदेश में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 620/41 व 403/15 तादादी 136 बीघा भूमि का उल्लेख है। उक्त भूमि सर्वे संवत् 2017 के मुताबिक नये खसरा नम्बर 243, 292, 296, 286/870, 322, 44, 569 मिन, 675 मिन, 719, 569 रकबा 72 10 बिस्वा है, इसके बाबत कोई राजस्व अभिलेख मिलान क्षेत्रफल एवं तत्संबंधी दस्तावेज बतौर प्रमाण पेश नहीं किये जाने के बावजूद भी उपर्युक्त खसरा नम्बर के बाबत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 21-04-2008 द्वारा विधिनुरूप है अथवा नहीं?

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त सारवान विचारणीय बिन्दुओं को अपने विवेचन में नहीं लिया गया है और न ही इन्हें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में समुचित रूप से


02/11/26


02/11/2026

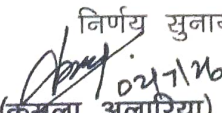
निर्धारित किया है। हमारे विनम्र मत में उभय पक्षों के मध्य उपर्युक्त समस्त बिन्दु साक्ष्य की विषयवस्तु है, जिन्हें मूल वाद में उभय पक्षों के द्वारा साक्ष्य लिये जाने के उपरांत ही गुणावगुण पर विवेचन अथवा निष्कर्षकन किया जाना समीचीन है। मूल वाद के उचित न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित कर एवं इन पर साक्ष्य लिये जाने व विपक्षी पक्ष को जिरह एवं साक्ष्य का अवसर दिये जाने के उपरांत ही प्रकरण में उठाये जाने वाले प्रश्नों का गुणावगुण पर विधिपूर्ण निस्तारण संभव हो सकेगा। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15-03-2005 पारित करने में तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21-04-2008 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है। लिहाजा सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 25 एवं आदेश 41 नियम 23 के प्रावधानों के तहत उक्त प्रकरण पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। तदनुसार आदेशित हो।

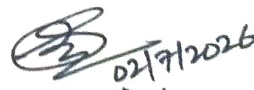
-आदेश-

उपरोक्त समग्र विवेचन, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों से प्राप्त मार्गदर्शन के परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-03-2005 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-04-2008 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण पुनः विचारण हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस निर्णय के पैरा संख्या - (v) (4) (c) वर्णित के बिन्दु संख्या (i) to (iv) को विवाद्यक के रूप में विचारणार्थ लेते हुए वाद का, नये सिरे से उभय पक्षों की उपस्थिति सम्यक रूप से सुनिश्चित करते हुए विधिक प्रकिया का पालन करते हुए, निस्तारण करें।

उभय पक्षों को जरिये अधिवक्ता निर्देशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के न्यायालय में दिनांक 02-09-2026 को उपस्थित रहें।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख 15 दिवस में भिजवाना रजिस्ट्री सुनिश्चित करें। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य


(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य